

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

॥ वाणिज्यक कार्यविधि निदेशालय ॥

क्रमांक:- जोधपुर डिस्कॉम/जोध/वाणिज्य/का. 4/प्र. तं. : 143

जोधपुर, दिनांक: 11-8-2000

आदेश

विषय:- कृषि उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई अतिरिक्त धरोहर राशि की मात्तिक किरतों में वसूली ।

धरोहर राशि के बर्तमान प्रावधानों के अनुसार कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त धरोहर राशि की वसूली के संबंध में नोटित प्रेषित किए गए हैं । अनेक कृषि उपभोक्ताओं द्वारा इन नोटितों के मिलने पर धरोहर राशि को किरतों में जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने की मांग की जा रही है ।

कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए निगम ने यह निर्णय लिया है कि कृषि उपभोक्ताओं को धरोहर राशि बिना डिलेट डेमेन्ट तरचार्य/ब्याज लगाए तीन मात्तिक किरतों में जमा करवाने की सुविधा तहायक अभियन्ताओं द्वारा दी जाए । तहायक अभियन्ताओं को विशेष ध्यान रखकर यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को धरोहर राशि की वसूली के लिए दिये जाने वाले नोटितों में उपभोक्ताओं द्वारा बूब में जमा की गई धरोहर राशि कम कर दी गई है । यदि उपभोक्ताओं को कोई नोटित बूब में उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई धरोहर राशि के तमायोजन के बिना जारी कर दिया गया हो तो उसे उपभोक्तानुसार तशोधित किया जा कर ही शेष राशि वसूली की जाए ।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये धरोहर राशि की वसूली के लिए अब जो नोटित दिये जावें उनमें उपरोक्त राशि को लगातर मात्तिक किरतों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होने का उल्लेख कर दिया जावें ।

आज्ञा से

॥ एन. सी. पुरोहित ॥

अधिशाष्ठी अभियन्ता ॥ वाणिज्यक ॥

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिखि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- उर्जा तचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2- तचिव, राजस्थान राज्य निवमक आयोग, विद्युत भवन जयपुर ।
- 3- मुख् अभियन्ता ॥ वसुंत ॥ जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
- 4- निर्देशक ॥ वाणिज्यक ॥ जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
- 5- संबुक्त निर्देशक ॥ वाणिज्य ॥ जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
- 6- मुख् लेखाधिकारी ॥ वाणिज्यक ॥ जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
- 7- मुख् लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- 8- मुख् लेखाधिकारी ॥ राजस्व ॥ रा. विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 9- उभ मुख् अभियन्ता ॥ वसुंत ॥ रीको, जयपुर ।

लगातार 2 . . .